

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 421]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 सितम्बर 2013—भाद्र 21, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2013

क्र. एफ-ए-3-28-2013-1-पांच (46).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 70-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची-दो में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

अनुसूची-2 में, भाग-3 में, अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं :—

“1. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 14 के खण्ड (दो-घ) में विनिर्दिष्ट से भिन्न एविएशन टर्बाईन फ्यूल, जब मध्यप्रदेश के किसी हवाई हड्डे पर ईंधन भरने हेतु विक्रय किया जाता है. 5.”

2. यह संशोधन इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्र, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2013

क्र. एफ-ए-3-28-2013-1-(46).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-28-2013-1-पांच(46), दिनांक 12 सितम्बर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्र, उपसचिव.

Bhopal, the 12th September 2013

No. F-A-3-28-2013-1-V (46).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 70-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendment in Schedule-II of the said Act, namely :—

AMENDMENT

In Schedule-II, in Part-III, for serial number 1 and entries relating thereto the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

“1. Aviation Turbine Fuel other than those specified in clause (ii-d) of Section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), when sold for fueling at an airport of Madhya Pradesh. 5.”.

2. This amendment shall come into force from the date of publication of this notification.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESHWAR MISHRA, Dy. Secy.